

नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी	दावा हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>1, 2, 3 वादी नं० अतः कार्यवाही वली दि</p> <p>नकी</p> <p>नकी</p> <p>क 3924)</p> <p>1-5-15</p> <p>06-13</p> <p>5715</p>	<p>5-6-2015 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प सलेमपुर पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उन्होंने भूमि का आपसी सहमति से तहसीलदार गंगपुर सिटी के यहां विभाजन करा लिया है, अब इस दावे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार पक्षकार दावे को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल नुमांदा होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दायित्व दफ्तर हो।</p> <p>(सतीश कुमार शर्मा, Adv.) सदस्य लोक अदालत गंगपुर सिटी</p> <p>(मुनिद्वय यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगपुर सिटी उप जिला कलेक्टर गंगपुर सिटी</p>	<p>8/11/15 जिला अदालत मि० गिराज मि० वामधन जगदीश वर्मा मि० मोरनी</p>

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सलेमपुर
पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

श्रीलाल पुत्र किशन्या उर्फ विशन्या, माली निवासी विदरखा तह0 गंगापूर सिटी —वादी
बनाम

1. बजरंगा पुत्र कन्हैया माली निवासी विदरखा तह. गंगापूर सिटी
2. गिर्राज पुत्र जसराम माली निवासी विदरखा तह. गंगापूर सिटी
3. रामधन पुत्र जसराम माली निवासी विदरखा तह. गंगापूर सिटी
4. जगदीश पुत्र गिर्राज माली निवासी विदरखा तह. गंगापूर सिटी
5. बनेसिंह पुत्र गिर्राज माली निवासी विदरखा तह. गंगापूर सिटी
6. फौरन्ती पत्नी जगदीश माली निवासी विदरखा तह. गंगापूर सिटी
7. लैंड होल्डर उपपंजीयक तहसीलदार, तहसीलदार गंगापूर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 52/2014

वादी की ओर से वादी श्रीलाल की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी बजरंगा, गिर्राज, रामधन, जगदीश बनेसिंह, फौरन्ती की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 05.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी अपना दावा नहीं चलाना चाहता है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 05.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
केम्प कोर्ट का स्थान :- सलेमपुर

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 5-6-2015

पीठासीन अधिकारी महोदय,

गंगापूर सिटी

बनाम कजरंगा नरेश
अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.A.
52/2014

प्रकाश प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री श्रीलाल पुत्र विश्व्या उर्फ विश्वान्या माली, विदरखा
कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लभित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
सकने के कारण हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
इस कारण आपसे राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

पक्षकारों ने तदसीन्दार गंगापूर सिटी के यहाँ भूमि का सधमती से
मजदूरी करा लिया है। अब हम इस दावे को आगे चलाना नहीं
छोटे हैं। अतः वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।

पीठासीन से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निरस्तारण करने की कृपा करें।

- श्रीलाल पुत्र विश्व्या उर्फ विश्वान्या माली नि० विदरखा
- प्रतिवादी पक्ष 1. कजरंगा नरेश, माली, विदरखा
नि० गिराज 2. गिराज पुत्र जसराम, माली, विदरखा
नि० रामधन 3. रामधन पुत्र जसराम, माली, विदरखा
बनोसिंह 4. जगदीश पुत्र गिराज, माली, विदरखा
नि० फोरन्ती 5. बनोसिंह पुत्र गिराज, माली, विदरखा
6. फोरन्ती पति जगदीश, माली, विदरखा

के हस्ताक्षर
प्रतिवादी पक्ष नाम श्रीलाल पुत्र विश्व्या उर्फ विश्वान्या माली नि० विदरखा
प्रधानीचौधरी
श्रीलाल पुत्र विश्व्या उर्फ विश्वान्या माली नि० विदरखा

रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना
सही अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल गिराल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)
(सतीश कुमार शर्मा) (मुनिदक यादव)
सदस्य अध्यक्ष
लोक अदालत पीठासीन अधिकारी
गंगापूर सिटी गंगापूर सिटी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान :- सल्लेमपुर

नुकदमा :- 52/2014

न नुकदमा :-

श्रीलाल

बनाम

वज्रेश्वर वगैरा

विषय :- लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु।

इन्तर्निवेदन है, कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पॉडेन्ट/ है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी

श्रीलाल

श्रीलाल पुत्र किशान्या उर्फ किशान्या
जाति माली नि० ए० वि० दरवा

सल्लेमपुर

5-6-2015